न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 81/2020 बउनवानी प्रेमचन्द गुर्जर **बनाम** सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर निवासी ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.12.2020	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. राजस्व ग्राम टोटोलाई में आदेश संख्या एल.आर. 456 दिनांक 20.12.2001 के अनुसार पटवारी हल्का बूचौलाई के द्वारा आराजी ख0न0 263 मिन नम्बर 15 डालते हुए जिस राजस्व नक्शा (लटठा सीट) में आराजी ख0न0 263/15 की तरमीम की गयी, उस नक्शा सीट की प्रमाणित प्रतिलिपि। 2. राजस्व ग्राम टोटोलाई में आराजी ख0न0 222/2,223/2,223/5 इन तीनो खसरा नम्बरों के आवंटन आदेश, आवंटन के समय पटवारी हल्का बूचौलाई के द्वारा जारी कब्जा ट्रेस, कब्जा रिपोर्ट व उक्त नम्बरों को जिस राजस्व नक्शा सीट(लट्ठा सीट) मे तरमीम कर खसरा नम्बर को अंकित किया गया, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि। 3. राजस्व ग्राम टोटोलाई में आराजी ख0न0 222/2,223/2,223/5 की जनवरी,2004 से दिसम्बर,2018 तक तरमीम करने में दिये गये आदेशों की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक क्रमांक सूकाअ/20/75 दिनांक 18.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना हेतु 40/—रू शुल्क जमा करवाने बाबत व बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध मे जरिये पत्रांक भू.अ./20/4150 दिनांक 2.11.2020 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसके उपरान्त अपीलान्ट जरिये पत्रांक भू.अ./4417 दिनांक 15.12.2020 से उक्त बिन्दु की सूचना भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक भू.अ./20/4517 दिनांक 14.12.2020 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना के संबंध मे अधिनियम की निर्धारित समय सीमा में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2020.12.28 17:14:18 IST
Reason: SelfAttested